

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-1 (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 107 / 2025
दायर दिनांक :- 23.05.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025 / 231
निर्णय दिनांक :- 29.05.2026

1. सहीराम पुत्र नरुराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी

बनाम

1. ठाकराराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. अनिलकुमार पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. अशोककुमार पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. जयराम पुत्र भलूराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. जोराराम पुत्र बुधरराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. पूनाराम पुत्र बुधरराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
7. बचनाराम पुत्र धनाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
8. बंशीलाल पुत्र धनाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
9. भगवानाराम पुत्र बुधरराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
10. मनोहरराम पुत्र धनाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
11. श्यामसुन्दर पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
12. सुखराम पुत्र बुधरराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
13. हरिकिशन पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
14. अर्जुनराम पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
15. जगदीशराम पुत्र हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
16. जयप्रकाश पुत्र भगवानाराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
17. भगवानाराम पुत्र गणपतराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
18. मांगीलाल पुत्र गणपतराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
19. श्रवणकुमार पुत्र भगवानाराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
20. सोमराज पुत्र भगवानाराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
21. गणपतराम पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
22. ओमप्रकाश पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
23. बाबूराम पुत्र धोकलराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
24. शंकरलाल पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
25. शंकरलाल पुत्र किशनाराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
26. सार्वजनिक निर्माण विभाग बाप खण्ड फलोदी तहसील बाप जिला फलोदी
27. ग्राम पंचायत सुरपुरा पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी
28. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

अप्रार्थीगण-

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956

- उपस्थित :-
1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
 2. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी
 3. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी
 3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

Saty...
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

--:: निर्णय ::--

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 166 रकबा 7.9399 हैक्टेयर सरहद मौजा श्रीसुरपुरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप के आदेश क्रमांक भूअ. /2025/49611/7 दिनांक 18.04.2025 को उक्त भूमि पैमाईश का आदेश पटवारी हल्का को दिये गये। पटवारी हल्का आदेश की पालना में दिनांक 23.04.2025 को मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 23.04.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिह्न (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 25 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबन्दी नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि

की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 23.04.2025 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 28 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब में बताया कि ग्राम श्रीसुरपुरा क्षेत्र श्रीसुरपुरा के खेत खसरा नम्बर 166 रकबा 7.9399 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 23.04.2025 के अनुसार प्रार्थी की हद में प्रार्थी और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी व अप्रार्थी संख्या 4 ता 8, 16, 15, 21 की ओर अधिवक्ता श्री करणीसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 4 ता 8, 16, 15, 21 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम श्रीसुरपुरा क्षेत्र श्रीसुरपुरा के खेत खसरा नम्बर 166 रकबा 7.9399 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबन्दी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 23.04.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

Saty ..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 4 ता 8, 16, 15, 21 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर की पत्थरगढी सभी खातेदारान् की उपस्थिति में की जावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम श्रीसुरपुरा क्षेत्र श्रीसुरपुरा के खेत खसरा नम्बर 166 रकबा 7.9399 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 23.04.2025 के अनुसार करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम श्रीसुरपुरा क्षेत्र श्रीसुरपुरा के खेत खसरा नम्बर 166 रकबा 7.9399 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 23.04.2025 के अनुसार सभी पक्षकारान् की उपस्थिति में किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/- प्रार्थीगण द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फंसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Satyam
(सत्य नारायण-I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उच्चाधिकारी
बाप (फलोदी)